न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 31/2018 नामान्तरकरण अपील

1. गुलाब देवी पत्नि मोतीलाल जाति मीना निवासी रामबास तहसील बसवा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. चॉवली देवी पत्नि जौहरीलाल जाति मीना निवासी ऐचेडी तहसील बसवा जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकर जरिये तहसीलदार बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

(अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 261 दिनांक 27.07.2018 ग्राम जैतपुरा तहसील बसवा आदेश तहसीलदार बसवा जिला दौसा)

उपस्थिति :– : श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित ।
: श्री सतीश कुमार पारीक अधिवक्ता अपीलान्ट सं. 1 उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः 04.03.2020

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट वादिनी ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई के समक्ष ग्राम जैतपुरा में स्थित भूमि ख. नं. 43 रकबा 0.6200 है. ख. नं. 44 रकबा 0.03 है. ख. नं. 47 रकबा 0.09 है. बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया और उक्त वाद में स्पष्ट कहा कि उक्त भूमि में वादिया अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी रेस्पो नं. 1 का 3/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। भूमि पर मौके पर बाहमी बटवारा कर रखा है। भूमि का विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है। वादिया मौके पर कब्जे के अनुसार तकास्मा करवाने की हकदार है। अपीलान्ट वादिया ने उपरोक्त भूमि का 1/4 हिस्सा पूर्व खातेदार गुलकन्दी पत्नि बच्चीराम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया है और जहां उक्त भूमि पर गुलकन्दी का कब्जा था उसी हिस्से पर वादिया काबिज है। प्रतिवादी नं. 1 ने अपीलान्ट वादिया के खरीदकर कब्जा करने के पश्चात् शेष भूमि को खरीद किया है। जहां पूर्व खातेदारान का कब्जा था वहा प्रतिवादी रेस्पो नं. 1 ने कब्जा प्राप्त किया है। दिनांक 20.06.2016 को वादिया ने प्रतिवादिया नं. 1 से कहा कि भूमि का सहमति से कब्जे अनुसार तकास्मा करवा लो तो प्रतिवादी नं. 1 ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और एलानिया कहा कि वे तो भूमि को दीगर व्यक्ति को विक्रय करेगी और वादिया को काश्त नहीं करने देगी तब वादी अपीलान्ट ने तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया और वाद पेश कर याचना चाही कि वादिया अपीलान्ट का मौके पर कब्जे अनुसार 1/4 हिस्से का तकास्मा कर वादी का खाता अलग किया जावे और प्रतिवादी नं. 1 को

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। राजस्व अभियान में दिनांक 2.11.2016 को उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य हिस्से अनुसार सरस नरस व रास्ते का ध्यान रखते हुए कुरेजात तैयार कर भिजवाने हेतु प्राथमिक डिक्री किया गया। कुरेजात में अपीलान्ट को ख. नं. 43 में से 0.13 है. रकबा और ख. नं. 47 में से 0.05 है. रकबा दिया गया एवं प्रतिवादी नं. 1 को ख. नं. 43 में से 0.49 है. ख. नं. 44 में से 0.03 है. और ख. नं. 47 में से 0.04 है. रकबा दिया गया। किन्तु बाद में 21.3.2017 को मौके की स्थिति के विपरीत गलत आधारो पर मिलीभगत से कुरेजात बनाकर पेश कर दिये। जिस पर अपीलान्ट ने कुरेजात बाबत आपत्ति प्रस्तुत की किन्तु दिनांक 19.12.2017 को अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कुरेजात की आपत्ति पर कोई बहस सुने बिना कुरेजात दिनांक 21.03.2017 के आधार पर अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 19.12.2017 को पारित कर दिया। जिसके खिलाफ प्रार्थीनी द्वारा भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष अपील पेश की जिसमे दिनांक 15.05.2018 को स्थगन जारी किया और विवादग्रस्त भूमि की मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये। अपील के विचाराधीन होने के बावजूद भी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.12.2017 की पालना में नामा. सं. 261 भरकर बिना कोई जॉच किये बिना व बिना अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना उक्त नामान्तरकरण को दिनांक 27.07.2018 को तस्दीक कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील नामा. सं. 261 दिनांक 27.07.2018 ग्राम जैतपुरा तहसील बसवा को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सतीश पारीक उपस्थित आये। प्रकरण से सम्बन्धित मूल अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति पर अधिवक्ता अपीलान्ट एवं अधिवक्ता रेस्पो. ने बहस नहीं कर सीधे ही मूल अपील पर बहस करने का निवेदन करने पर मूल अपील की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के दौरान निवेदन किया कि नामा. सं. 261 दिनांक 27.07.2018 गलत तरीके से खोला गया है। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर ने स्थगन आदेश जारी कर रखा है। माननीय राजस्व मण्डल का सर्कूलर है कि यदि स्थगन एक बार दे दिया जाये तो जब तक वह बहस होकर समाप्त नहीं होता है तो वह स्थगन बढाया गया नहीं हो तो भी स्थगन माना जाता है किन्तु तहसीलदार द्वारा स्थगन आदेश होने के बावजूद भी नामा. तस्दीक कर दिया। इसलिये अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर नामा. सं. 261 दिनांक 27.07.2018 निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से बहस के दौरान निवेदन किया कि जिस समय नामा. सं. 261 दिनांक 27.07.2018 तस्दीक किया गया था, उस समय किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रचलित नहीं था। भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां विचाराधीन अपील भी दिनांक 25.6.2019 को खारिज की जा चुकी है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.12.2017 को यथावत रखा गया है। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में राजस्व मण्डल में अपील विचाराधीन होने के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति० जिला कलेक्टर
डीग

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत नामा. न्यायालय के निर्णय डिक्री की पालना में खोला गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 25.06.2019 के विरूद्ध निगरानी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में विचाराधीन होना बताया है किन्तु ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससें यह साबित हो कि उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 261 दिनांक 27.07.2018 ग्राम जैतपुरा तहसील बसवा यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत नामा. न्यायालय के निर्णय डिक्री की पालना में खोला गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 25.06.2019 के विरूद्ध निगरानी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में विचाराधीन होना बताया है किन्तु ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससें यह साबित हो कि उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 261 दिनांक 27.07.2018 ग्राम जैतपुरा तहसील बसवा यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा